सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना Member of Parliament Local Area Development Scheme

धर्मपाल उप सचिव Dharam Pal Deputy Secretary TELFAX: 23364193



भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 225, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 225, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

Da	ted
	June,2010

No.C/11/2006-MPLADS

To

All Nodal District Authorities
(District Collectors / Dy. Commissioners/District
Magistrate/ Commissioners of Municipal
Corporations/ CEOs of District Planning Committees).

Sub: MPLADS — Development of Areas inhabited by Scheduled Castes and Scheduled Tribes — regardinging.

Sir / Madam,

I am directed to invite your attention to Para 2.5 of MPLADS Guidelines, 2005 wherein it has been laid down that the MPs are to recommend every year such works costing at least 15% of MPLADS funds for areas inhabited by Scheduled Caste population and 7.5% for areas inhabited by Scheduled Tribe population. In other words, permissible works costing not less than Rs.30 lakh out of the annual allocation of Rs.2 crore per MP shall be recommended for areas inhabited by SC population and Rs.15 lakh for areas inhabited by ST population. In case, a constituency does not have any ST inhabited area, such funds may be utilized in SC inhabited areas and vice-versa. It shall be the responsibility of the District Authority to enforce this provision of the Guidelines.

- 2. This matter has been discussed in detail in various fora. However, it has come to the notice of this Ministry that the above stipulation is not being adhered to by most of the District Authorities.
- It is, therefore, once again requested that necessary action may be taken to persuade MPs to recommend works for areas inhabited by Scheduled Caste and Scheduled Tribe Population as per the Guidelines on MPLADS, under intimation to this Ministry.

Yours faithfully,

(Dharam Pal)

Dy. Secretary to the Govt. of India Tele Fax No. 23364193

Copy to:

- (i) Lok Sabha Committee on MPLADS
- (ii) Rajya Sabha Committee on MPLADS
- (iii) Secretaries of Nodal Ministries of all States / UTs
- (iv) NIC to upload on website.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना Member of Parliament Local Area Development Scheme

धर्मपाल उप सचिव Dharam Pal Deputy Secretary TELFAX: 23364193



भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 225, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 225, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

सं. सी/11/2006-एमपीलैंड्स

Dated 29 जून, 2010

सेवा में

सभी नोडल जिला प्राधिकारी (जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त, नगर निगम/ जिला आयोजना समितियों के सीईओ)

विषयः एमपीलेंड्स -- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बसावट वाले क्षेत्रों का विकास ।

महोदय/महोदया,

मुझे एमपीलैंड्स दिशानिर्देश, 2005 के पैरा 2.5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सांसदों द्वारा अनुसूचित जाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए एमपीलैंड्स निधि से कम से कम 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए एमपीलैंड्स निधि से 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की प्रति वर्ष अनुशंसा की जानी है । दूसरे शब्दों में, प्रति सांसद 2 करोड़ रु. के वार्षिक आबंटन में से अनुसूचित जाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 लाख रु. तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए 15 लाख रु. की लागत के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा की जाएगी । यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की बसावट वाला कोई क्षेत्र नहीं है, तो ऐसी निधि का अनुसूचित जाति के बसावट वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाए और यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बसावट वाला कोई क्षेत्र नहीं है, तो ऐसी निधि का अनुसूचित जाति की बसावट वाला कोई क्षेत्र नहीं है, तो ऐसी निधि का जनजाति के बसावट वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाए और यदि किसी निर्वाचन को जनजाति के बसावट वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाए । दिशानिर्देशों के इस प्रावधान को लागू करने की जिम्मेवारी जिला प्राधिकारी की होगी ।

- 2. इस मामले पर विभिन्न मंचों में चर्चा की जाती रही है। तथापि, इस मंत्रालय के ध्यान में आया है कि अधिकांश जिला प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त अनुबंध का पालन नहीं किया जा रहा है।
- 3. अतः पुनः अनुरोध है कि एमपीलैंड्स दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए कार्यों की अनुशंसा करने के लिए सांसदों को प्रेरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए और इसकी सूचना मंत्रालय को दी जाए ।

भवदीय,

(धर्मपाल)

उप सचिव, भारत सरकार टेलीफैक्स नं. 23364193

प्रतिलिपि:-

- (1) एमपीलैंड्स संबंधी लोक सभा समिति ।
- (2) एमपीलैंड्स संबंधी राज्य सभा समिति ।
- (3) सचिव, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल मंत्रालय ।
- (4) एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।